



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2018/फाल्गुन 1, 1939

No. 661]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018/PHALGUNA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

का.आ. 748(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के उपखंड (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुपालन में, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गर्वन्मेंट ई-मार्केट-प्लेस (जीईएम) को, एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

इस अधिसूचना को, प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) को, पदनामित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करने वाले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 (1) (क) के अंतर्गत जारी दिनांक 12.08.2018 के समसंख्यक आदेश जिसे अधिसूचित किए जा रहे प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत किए जाने के लिए जारी किया गया था, के साथ पढ़ा जाए।

[अधिसूचना सं. 6/2018 /फा.सं.225/61/2018-आईटीए-II]

रोहित गर्ग, निदेशक-(आईटीए-II), सीबीडीटी